उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 59वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 14.08.2020

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्सः 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की 59वीं बैठक जो दिनांक 14.08.2020 को परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

परिचालन के माध्यम से प्रेषित एजेण्डा पर यूपीडा निदेशक मण्डल के निम्न सदस्यों द्वारा अवलोकनोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –सदस्य/सचिव
3. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन –सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग)
4. श्री गिरिजेश कुमार त्यागी, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन –सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण)
5. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन–सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास)
6. सुश्री अनिता श्रीवास्तव, नगर नियोजक, आवास बन्धु –सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन)

निदेशक मण्डल की 59वीं बैठक दिनांक 14.08.2020 जो परिचालन के माध्यम से सम्पन्न की गई का कार्यवृत्त।

निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन के माध्यम से दिनांक 14.08.2020 को प्रस्तुत ऐजण्डा बिन्दु गंगा एक्सप्रेसवे के सिविल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय व्यवस्था के लिए वित्तीय सलाहकार संस्था की सेवाएँ प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव का निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अवलोकन करते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया और इस सम्बन्ध में निम्नवत् संकल्प पारित किया गया :-

i. आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश शासन, की अध्यक्षता में 01 जुलाई 2020 व 15 जुलाई 2020 को सम्पन्न बैठकों के कार्यवृत्त को निदेशक मण्डल के रेकॉर्ड पर लिया जाए, जिनके माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण कार्यों के वित्तीय प्रबंधन लिए शासन के अनुमोदन से वित्तीय सलाहकार (Financial Transaction Advisory) की सेवाएँ प्राप्त करने संबंधी मत स्थिर किया गया है।

ii. एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. के 25 जून 2020 को प्राप्त प्रस्ताव (Expression of Interest) पत्र एवं 27 जुलाई 2020 के उक्त-संदर्भित पत्र को निदेशक मण्डल के रेकॉर्ड पर लिया जाए, जिनके माध्यम से एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण कार्यों के वित्तीय प्रबंधन के लिए वित्तीय सलाहकार (Financial Transaction Advisory) के रूप में अपनी सेवाएँ देने हेतु निर्दिष्ट परियोजना फीस व अन्य शर्तों के आधार पर प्रस्ताव दिया है।

iii. उपरोक्तानुसार वित्तीय सलाहकार (Financial Transaction Advisory) की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन से अनुमोदन हेतु अनुरोध किया जाए।

iv. प्रथम चरण में, उक्त-संदर्भित एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. के ई.ओ.आई. में इंगित Phase-I के लिए प्रस्तावित कार्य हेतु शासन द्वारा नॉमिनेशन के आधार पर एस. बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. से उनके द्वारा प्रस्तावित रु. 50-00 लाख (रु. पचास लाख मात्र) के परियोजना सेवा प्रभार पर सेवाएँ लिए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जाए व तदनुसार यूपीडा के पक्ष में रु. 50-00 लाख (रु. पचास लाख मात्र) की धनराशि के प्रावधान हेतु उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध किया जाए।

v- उपरोक्त प्रस्तावों के शासन से अनुमोदन प्राप्त करने व तत्क्रम में एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. से वित्तीय सलाहकार (Financial Transaction Advisory) की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

vi. उक्त के संदर्भ में एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. के साथ आवश्यक करारनामा व अन्य विधिक पत्रों के निष्पादन हेतु यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

vii. शासन के अनुमोदन के उपरांत यथावश्यक अग्रगामी कार्यवाही तथा तदुपरान्त एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. से विषयान्तर्गत प्राप्त विस्तृत प्रस्ताव को शासन को प्रेषित करने हेतु यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

viii. उक्त के संबंध में समय समय पर हुई प्रगति से निदेशक मण्डल को यथावश्यक अवगत कराया जाएगा।

उपरोक्त निम्न एजेण्डा बिन्दु को निदेशक मण्डल के सदस्यों से पत्रावली परिचालन द्वारा अनुमोदित करा लिया गया है।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2020 को परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई 59वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 14.08.2020 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी